

राजस्थान सरकार
शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक: प.14(4)/शिक्षा-1/सीकर/2014- पार्ट

जयपुर, दिनांक: 7/6/2017

--:संशोधित आदेश:--

जिला सीकर के एकीकरण के संबंध में, इस विभाग के जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.04.2017 के द्वारा आदेश में अंकित सारणी 19ए व 20ए के क्रमांक 2 व 5 तथा सारणी 19बी व 20बी के क्रमांक 1,2 व 3 के विद्यालयों में समन्वयन के आदेश में निम्नलिखितानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

क्र. सं.	आदेश का क्रमांक	आदेश की कॉलम सं.	आदेश में अंकित	कॉलम 4 में स्थित नाम के स्थान पर संशोधित नाम
1.	2.	3.	4.	5.
1.	2(19-20)ए	4,5,6	भारदो का बास	भोरडो का बास
2.	5(19-20)ए	3,4 6	खटुंदर रामावि हमीरपुरा खुर्द	खटुन्दरा रामावि हमीरपुरा खुर्द
3.	1(19-20)बी	3,5	कनसारडा	कांसरडा
4.	2(19-20)बी	4,5	दातुजला	दन्तुजला
5.	3(19-20)बी	5	राउमावि नांगल	राउमावि नांगल (नाथूसर)

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

आज्ञा से,

(रामस्वरूप झालानी)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, महोदय
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर
9. निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर
10. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर
11. संभागीय आयुक्त,.....
12. जिला कलक्टर,.....
13. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा गुप-2,5,6
14. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, संभाग
15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)
16. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव, प्रथम